न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 17 / 2021

प्रार्थी :–

1. दीपाराम वल्द जोराराम
   जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी खुर्द तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गोमीदेवी पत्नी जोगाराम
2. गोमीदेवी पत्नी हुकमाराम
3. मालूदेवी पत्नी मानाराम
   कौम सुथार साकिन गोलिया जैतमाल हाल निवासी नोखडा तहसील गुड़ामालानी
4. दूदाराम वल्द नारणाराम
   कौम जाट साकिन अणखिया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
5. शेरखां वल्द नुरा कौम तेली निवासी अणखिया तहसील गुड़ामालानी
6. हमीराराम वल्द हरखाराम
7. सुखाराम वल्द हरखाराम
8. बाबूलाल वल्द हरखाराम
9. लीलाराम वल्द हरखाराम
10. राजूराम वल्द हरखाराम
11. जेतीदेवी पत्नी हरखाराम
    कौम मेगवाल साकिन नोखडा तहसील गुड़ामालानी
12. तहसीलदार गुडामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10·08·21

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की एकपक्षीय बहस सुनी [illegible] किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 [illegible] मौजा अणखिया पटवार मण्डल नौखडा तहसील गु[illegible] 146/19 रकबा 2–00 बीघा, भूमि का अवलोकन [illegible] नाम बतौर खातेदार [illegible] है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्[illegible] पक्की माठे नहीं होने [illegible]श्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:50:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा अणखिया पटवार मण्डल नौखडा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 146/19 रकबा 2–00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आर.जी.टी. रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10/8/21 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:50:45 IST
Reason: SelfAttested